UP PCS-J (Mains) 2012

Hindi · compulsory paper

3. Translate the following passage into English: 40 Marks

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी स्तर की अदालतों में न्यायाधीशों के पद रिक्त न रहें। यह एक तथ्य है कि उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालतों में न्यायाधीशों के तमाम पद रिक्त पड़े हैं। ये रिक्त पद न्याय की गति को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। हमारे देश की छोटी-बड़ी अदालतें मुकदमों के बोझ तले दबी हुई हैं। एक अनुमान के अनुसार तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। स्पष्ट है कि इससे भी अधिक संख्या में लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत होंगे। इतने अधिक लंबित मामलों को देखते हुए जरूरत केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की ही नहीं बल्कि उनकी संख्या बढ़ाने की भी है। उच्चतम न्यायालय लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर पर जो पहल कर रहा है उसमें केन्द्र और राज्यों को सक्रिय सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए।